# 14

# न्याय वितरण प्रणाली

भारतीय न्यायिक व्यवस्था के उद्‌भव और विकास तथा आधुनिक भारत में दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की कार्य-पद्धति पर चर्चा के बाद दीवानी और फौजदारी मामलों, उनके प्रकार तथा न्यायालय में उनके विभिन्न चरणों से गुजरने की स्थिति के बारे में जानना उचित रहेगा।

विवादों को हल करने के लिए दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य कई तरीके हैं। न्यायालयों के अतिरिक्त न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल), जिन्हें न्यायिक निकाय के रूप में परिभाषित किया जाता है, विशेष प्रकार के अथवा तकनीकी प्रकार के विवादों को हल करके न्यायालयों पर बोझ कम करने में सहायता करते हैं। अत: न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनलों) के माध्यम से विवाद समाधान करना भी आधुनिक भारत में विवाद हल करने के तंत्र का एक भाग है। मूलत: न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनलों) को कानून की विशेष शाखा से सम्बन्धी मामलों के लिए ही गठित किया जाता है।

नियमित न्यायालयों और न्यायाधिकरणों ट्रिब्यूनलों और उनकी कार्य-पद्धति के बीच तुलना करते हुए यह कहा जा सकता है कि दीवानी और फौजदारी न्यायालय कानून की कठोर कार्य-प्रणाली का पालन करते हैं, वहीं ट्रिब्यूनल कानून के तकनीकी नियमों का सहजता से पालन करते हैं। संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ चेयरमैन तथा अन्य सदस्य मामले पर निर्णय लेते हैं। जैसे ट्रिब्यूनल भारत अर्थात केन्द्र स्तर पर कार्य कर रहे हैं राज्य स्तर पर भी कुछ न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) गठित किये गये है तथा वे कार्य कर रहे हैं।

## उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- दीवानी मामलों का वर्णन कर सकेंगे;
- फौजदारी मामले अथवा विवाद का अर्थ समझ सकेंगे;
- दीवानी मुकदमे के विभिन्न चरणों को पहचान सकेंगे;
- फौजदारी मुकदमे अथवा विवाद के विभिन्न चरणों को जान पाएंगे;
- न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) को परिभाषित कर सकेंगे और इसकी कार्य-पद्धति पर चर्चा कर सकेंगे; तथा
- नियमित न्यायालय और न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के बीच अंतर समझ सकेंगे।

## 14.1 दीवानी और फौजदारी मामले अथवा विवाद

साधारण भाषा में विवाद दो प्रकार के होते हैं– दीवानी और फौजदारी। दीवानी मामलों को दीवानी कानून (नागरिक कानून) के अंतर्गत उठाया जाता है। दीवानी मामलों अथवा विवादों में पार्टियां (पक्ष) अपना अधिकार जताती अथवा अधिकार पर विवाद उत्पन्न करती हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार, स्वामित्व का अधिकार, संपत्ति का बंटवारा, अनुबंध के अधिकार इत्यादि। पैसा वसूली के मामले, संपत्ति के मामले, मनाही के मामले, लापरवाही इत्यादि के मामले दीवानी मामलों के कुछ उदाहरण हैं। दीवानी मामले निजी गलतियों से संबंधित होते हैं, जबकि फौजदारी मामले सार्वजनिक गलतियों से संबंधित होते हैं (कानूनी भाषा में दीवानी मामले केवल पार्टियों से ही संबंधित होते हैं)।

फौजदारी मामले आपराधिक कानून के अंतर्गत उठाए गए कानूनी मामले होते हैं। दंडनीय अपराध; चोट, जख्म, हत्या जैसे मामले एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी से किया गया अपराध हैं, परंतु इन्हें सार्वजनिक अपराध माना जाता है। सार्वजनिक अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लंघन सार्वजनिक गलती होती है, जो पूरे समुदाय को प्रभावित करती है। सारे समुदाय के विरुद्ध की गई गलती मामले में सरकार दोषी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाती है। कुछ मामलों में राज्य के अतिरिक्त किसी एक व्यक्ति की शिकायत पर भी आपराधिक कार्यवाही की जाती है।

लापरवाही, अवैध नजरबंदी, भूमि पर जबरन अधिकार (दूसरे की भूमि पर घुसपैठ करना), शारीरिक हमला इत्यादि को दीवानी गलती माना जाता है और उन्हें कानून की एक अन्य शाखा क्षति (टार्ट्स) के कानून के अंतर्गत निपटाया जाता है।

चित्र 14.1: भारत का सर्वोच्च न्यायालय

### पाठगत प्रश्न 14.1

निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य अथवा असत्य लिखिए

1. दीवानी मामले; दीवानी कानून के अंतर्गत उठाए गए कानूनी मामले होते हैं। (सत्य/असत्य)
2. फौजदारी मामले आपराधिक कानून के अंतर्गत उठाए गए कानूनी मामले होते हैं। (सत्य/असत्य)
3. लापरवाही, गैरकानून नजरबंदी, अत्याचार इत्यादि को दीवानी गलती माना जाता है और इन्हें 'टार्ट्स' के कानून के अंतर्गत निपटाया जाता है। (सत्य/असत्य)

## 14.2 दीवानी मामले - विभिन्न चरण

दीवानी मामलों में केस दर्ज करवाने वाली पार्टी को वादी (अभियोगी) कहा जाता है और जिसके विरुद्ध केस दर्ज किया जाता है, उसे डिफेंडेंट (प्रतिवादी) कहा जाता है। कानूनी भाषा में दीवानी मुकदमे को दीवानी मामला या (सूट) कहा जाता है। दीवानी मुकदमा निम्नलिखित चरणों से गुजरता है-

1. **शिकायत दाखिल करवाना :** दीवानी मुकदमे का पहला चरण शिकायत दर्ज करवाना होता है। वकील द्वारा तैयार शिकायत को उपयुक्त न्यायालय में दाखिल किया जाता है।
2. **प्रतिवादी को सम्मन जारी करना :** एक बार मुकदमा दाखिल हो जाने पर न्यायालय दूसरी पार्टी को मुकदमा दर्ज होने की सूचना देता है।
3. **प्रतिवादी की उपस्थिति :** सम्मन प्राप्त होने पर प्रतिवादी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है और वादी द्वारा दाखिल किए गए मुकदमे के जवाब में अपना जवाबनामा दाखिल करता है। प्रतिवादी का जवाबनामा को लिखित बयान (कथन) कहा जाता है। वादी प्रतिवादी के जवाबनामे के जवाब में अपना बयान दाखिल कर सकता है।
4. **मुद्दे तय करना :** वादी द्वारा बयान दाखिल करने के बाद अदालत (न्यायालय) उस मुकदमे में उठाए गए मुद्दे तय करती है।
5. **साक्ष्य दर्ज करना :** उसके बाद दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। साक्ष्यों के द्वारा दोनों पार्टियां अपने केस को सिद्ध करने तथा दूसरे को झूठा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर वादी के साक्ष्य पहले लिए जाते हैं और उसके बाद प्रतिवादी के साक्ष्य किए जाते हैं।
6. **बहस :** साक्ष्यों को दर्ज करने के बाद दोनों पार्टियों के बीच बहस होती है और तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं।
7. **निर्णय :** बहस सुनने के बाद तथा पार्टियों द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्यों को देखकर न्यायाधीश अपना निर्णय देता है और किसी एक पार्टी के पक्ष में फैसला होता है। असंतुष्ट पार्टी को ऊंची अदालतों में अपील अथवा किसी अन्य उपचार के लिए जाने का अधिकार है।

### क्रियाकलाप 14.1

अपने जिले के किसी दीवानी अदालत में जाइए और उसकी कार्य-पद्धति को देखिए तथा लम्बित पड़े दीवानी मुकदमों की एक सूची बनाइए।

### पाठगत प्रश्न 14.2

1. **रिक्त स्थान भरिए :**

   (क) दीवानी मामलों में केस दाखिल करने वाली पार्टी को .......... कहा जाता है।

(ख) दीवानी मामले में जिस पार्टी के विरुद्ध मुकदमा दाखिल किया जाता है, उसको ......... कहते हैं।

(ग) कानूनी भाषा में दीवानी मुकदमे को ......... कहा जाता है।

2. किसी दीवानी मुकदमे को जिन चरणों से गुजरना होता है, उसकी एक सूची बनाइए।

## 14.3 आपराधिक मामले - विभिन्न चरण

फौजदारी मामलों में राज्य पीड़ित व्यक्ति की ओर से दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू करता है। फौजदारी मामले किसी अपराधिक कृत्य से संबंधित होते हैं। यह अपराध सार्वजनिक गलती अथवा अपराध होता है। चोट पहुंचाना अथवा जख्मी करना, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। अपराध करने वाले व्यक्ति को अभियुक्त कहा जाता है। आपराधिक मुकदमा निम्नलिखित विभिन्न चरणों से गुजरता है।

1. **प्राथमिकी दर्ज होना :** एफ.आई.आर. का अर्थ है-फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यह वादी द्वारा पुलिस को दी गई सूचना होती है कि पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया गया है। पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करवाना आपराधिक मुकदमे का पहला चरण है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ही पुलिस मुकदमे की जांच कर सकती है।

2. **जांच :** प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ही पुलिस अधिकारी यह जानने की कार्यवाही शुरू करते हैं कि क्या वास्तव में कोई अपराध किया गया है अथवा नहीं और यदि किया गया है तो किसने किया है। आपराधिक मामलों में साक्ष्य एकत्रित करना जांच अधिकारी का काम है। साक्ष्य एकत्रित करने में गवाहों के बयान दर्ज करना, प्रपत्रों को कब्जे में लेना तथा अपराध करने में प्रयुक्त चीजों को कब्जे में लेना शामिल होता है। यदि जांच करने पर अपराध का होना पाया जाए तो चार्जशीट (आरोप-पत्र) दाखिल की जाती है और मामला मुकदमे के रूप में जाता है अन्यथा मामला समाप्त माना जाता है और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जाती है।

3. **आरोप पत्र दाखिल करना :** चार्जशीट एक प्रकार की रिपोर्ट होती है, जिसमें स्पष्ट किया जाता है कि कोई अपराध कैसे किया गया, किसने किया और कौन से कानून के अंतर्गत आता है? चार्जशीट दाखिल होने पर यदि अदालत संतुष्ट हो जाती है कि अपराध हुआ है तो अदालत उस मामले पर संज्ञान लेती है और अभियुक्त को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करती है।

4. **आरोप तय करना :** जांच एजेंसी द्वारा एकत्रित सामग्री में ध्यान से देखने के बाद अदालत देखती है कि कौन-सा अपराध हुआ है और कानून के कौन-से प्रावधान के अंतर्गत अभियोग चलाया जाना चाहिए, जैसे अभियुक्त ने चोरी की, डकैती डाली अथवा अन्य कोई अपराध किया। अदालत जांच एजेंसी द्वारा इकट्ठे किए गए साक्ष्यों के आधार पर इस निर्णय पर भी पहुंच सकती है कि कोई अपराध नहीं किया गया और इस आधार पर अभियुक्त को बरी कर दिया जाएगा और घोषित किया जाएगा कि कोई अपराध नहीं किया गया।

5. **अभियोजन साक्ष्य :** आरोप तय करने के बाद जांच एजेंसी द्वारा एकत्रित सारे साक्ष्यों के साथ अभियोजन पक्ष का बयान प्रस्तुत करने के लिए अभियोजन की जरूरत होती है। गवाह उस व्यक्ति को कहते हैं, जो किसी पार्टी के पक्ष में बयान देता है, जो उसे अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए लेकर आता है।

6. **अभियुक्त का बयान :** इसके बाद अदालत अभियुक्त से उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगती है। अभियुक्त को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाता है।

7. **बचाव साक्ष्य :** अभियुक्त का बयान दर्ज करने के बाद यदि न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया, तब उसे बरी कर दिया जाता है अर्थात् कोर्ट मान सकता है कि कोई अपराध नहीं किया गया, लेकिन यदि न्यायालय को अपराध करने के संबंध में कोई संदेह हो तो वह बचाव पक्ष के गवाहों को अस्वीकार या निरनुमोदन करने के लिए बुलाता है। तब अभियुक्त अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए गवाह प्रस्तुत करता है।

8. **तर्क-वितर्क (दलील) :** गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद दोनों ओर से दलील प्रस्तुत जाती हैं।

9. **निर्णय :** इसके बाद या तो अभियुक्त को दोषी अर्थात् अपराध करने के लिए दोषी अथवा बरी करने का निर्णय दिया जाता है।

10. **बहस और सजा पर निर्णय :** यदि अभियुक्त को किसी अपराध के लिए दोषी घोषित किया जाता है तो अभियोजन एवं बचाव पक्ष दोनों ही अपराधी को कानून के अंतर्गत तय अधिकतम सजा में से कितनी सजा दी जाए, पर तर्क प्रस्तुत करते हैं।

11. **सजा पर निर्णय :** सजा पर तर्क सुनने के बाद अदालत अपराधी को दी जाने वाली सजा पर निर्णय देती है। अभियुक्त को सजा देने में अभियुक्त की आयु, पृष्ठभूमि, पिछला आपराधिक इतिहास भी निर्धारक कारक होते हैं।

12. **अपील :** अभियुक्त अथवा अभियोजन दोनों ही पक्षों में कोई भी जो न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट न हो, वह ऊपर के न्यायालय में अपील के लिए जा सकता है।

## पाठगत प्रश्न 14.3

1. निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए-

   (क) प्राथमिकी

   (ख) बहस (जिरह)

   (ग) निर्णय

   (घ) अपील

2. निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य अथवा असत्य लिखिए–

(क) आपराधिक मामलों में, राज्य अपराध का शिकार हुए व्यक्ति की ओर से दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करता है। (सत्य/असत्य)

(ख) अपराध एक सार्वजनिक गलती होता है। (सत्य/असत्य)

## 14.4 न्यायाधिकरण के माध्यम से विवाद निपटाना

किसी विवाद को हल करने के कई तरीके हैं, परंतु न्याय प्राप्त करने के लिए किसी औपचारिक न्यायालय के समक्ष जाना कोई आवश्यक नहीं है। ट्रिब्यूनल्स को अदालत से अलग ऐसे न्यायिक निकाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके पास प्रशासनिक और न्यायिक कार्य होते हैं। विभिन्न कानूनों के अंतर्गत पार्टियों में विवाद सुलझाने के लिए कई ट्रिब्यूनल गठित किए गए हैं, जैसे औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए औद्योगिक ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) : सरकार से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल और आयकर संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए आयकर ट्रिब्यूनल इत्यादि। ये ट्रिब्यूनल अदालतों की तुलना में कम खर्चीले और कम औपचारिक है तथा यहां विवादों का निपटारा अधिक आसानी से हो जाता है। ट्रिब्यूनलों का गठन मूलत: कानून की किसी एक शाखा विशेष के मामलों से निपटने के लिए किया जाता है। ट्रिब्यूनल में विवाद पर मामले की विशेष जानकारी रखने वाले सदस्यों द्वारा निर्णय लिया जाता है। ट्रिब्यूनल विशेष अथवा तकनीकी प्रकार के विवादों, जिनके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, के फैसले करके न्यायालयों के बोझ को कम करने में भी सहायता करते हैं।

### पाठगत प्रश्न 14.4

1. न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) की परिभाषा लिखिए।

2. **रिक्त स्थान भरिए–**

(क) औद्योगिक विवाद को निपटाने के लिए गठित न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) को .......... कहते हैं।

(ख) आयकर संबंधी विवादों को निपटाने के लिए गठित न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) को .......... कहते हैं।

3. **प्रत्येक कथन के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए–**

(क) न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनलों) में विवाद पर मामले की विशेष जानकारी रखने वाले सदस्यों द्वारा निर्णय लिया जाता है। (सत्य/असत्य)

(ख) न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) का गठन मूलत: कानून की एक शाखा विशेष के संबंधित मामलों के निपटाने के लिए किया जाता है। (सत्य/असत्य)

(ग) ट्रिब्यूनल विशेष अथवा तकनीकी प्रकार के विवादों, जिनके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, के फैसले करके अदालतों (न्यायालयों) के बोझ को कम करने में सहायता करते हैं। (सत्य/असत्य)

## 14.5 न्यायालयों और न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनलों) की तुलना

न्यायालय कानून की कठोर प्रक्रिया का पालन करते हैं, जबकि ट्रिब्यूनल कानून के तकनीकी नियमों का सहजता से प्रयोग करते हैं।

न्यायालयों में लोगों का बोलने का मौका कम ही मिलता है और अधिकांश बात वकील ही करते हैं, परंतु दूसरी ओर ट्रिब्यूनल लोगों को अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और विवादों को निपटारे में वकीलों की भूमिका कम ही होती है।

न्यायालयों के पास कई प्रकार के मुकदमों पर फैसला लेने की शक्ति होती है, जबकि ट्रिब्यूनल कानून के किसी विशेष क्षेत्र की विशेषज्ञता रखते हैं।

न्यायालयों में मुकदमेबाजी बहुत महंगी है, क्योंकि न्यायालयों में वकीलों की फीस देनी पड़ती है। दूसरी ओर ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया न्याय सस्ता और शीघ्र मिलता है। किसी न्यायालय की कार्यवाही पर जज अथवा मजिस्ट्रेट अध्यक्षता करता है। दूसरी ओर ट्रिब्यूनलों में संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ चेयरमैन अथवा सदस्य फैसला करते हैं।

न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनलों) के पास नियमित न्यायालयों की तुलना में कम शक्तियां होती हैं। उदाहरण के लिए कोई ट्रिब्यूनल किसी व्यक्ति को जेल नहीं भेज सकता, जो कि नियमित न्यायालयों के लिए सामान्य बात है।

न्यायालयों में वकील का होना आवश्यक होता है, जबकि ट्रिब्यूनलों में उनकी जरूरत कम ही होती है।

### पाठगत प्रश्न 14.5

**प्रत्येक कथन के समक्ष सत्य अथवा असत्य लिखिए-**

(क) न्यायालयों के पास कई प्रकार के मुकदमों पर फैसला करने की शक्ति है, जबकि न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) कानून के किसी क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता रखते हैं। (सत्य/असत्य)

(ख) न्यायालय कानून की कठोर प्रक्रिया का पालन करते हैं, जबकि न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) कानून के तकनीकी नियमों का सहजता से प्रयोग करते हैं। (सत्य/असत्य)

(ग) न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनलों) के पास नियमित न्यायालयों से कम शक्तियां होती हैं। (सत्य/असत्य)

(घ) न्यायालयों में मुकदमेबाजी बहुत महंगी है, जबकि ट्रिब्यूनलों द्वारा दिया गया न्याय कम खर्चीला और शीघ्र होता है। (सत्य/असत्य)

### आपने क्या सीखा

विवाद प्रायः दो प्रकार के होते हैं-दीवानी और फौजदारी। एक दीवानी मामला अथवा विवाद दीवानी कानून के अंतर्गत उठने वाला कानूनी मामला होता है। आपराधिक कानून आपराधिक मामलों से संबंधित होते हैं, जैसे-हत्या, चोट पहुंचाना, चोरी, डकैती और अपहरण इत्यादि।

दीवानी मामलों अथवा विवादों के विभिन्न चरण इस प्रकार हैं-शिकायत दाखिल करना, प्रतिवादी को सम्मन जारी करना, प्रतिवादी (डिफेंडेंट) की उपस्थिति, मुद्दे तय करना, साक्ष्य दर्ज करना, पार्टियों की ओर से तर्क प्रस्तुत करना और अदालत द्वारा फैसला देना।

फौजदारी मामले जिन विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। वे इस प्रकार हैं- प्राथमिकी दर्ज करवाना, पुलिस द्वारा जांच करना, आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल करना, आरोप तय करना, अभियोजन साक्ष्य, अभियुक्त का बयान, विवाद से जुड़ी दोनों पार्टियों द्वारा दिए गए तर्क, न्यायालय का फैसला, सजा पर बहस और अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील।

न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) को न्यायालयों से अलग ऐसे न्यायिक निकाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके पास प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां होती हैं। पार्टियों के बीच विवादों को हल करने के लिए अलग-अलग कानूनों के अंतर्गत कई न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनलों) का गठन किया गया है, जैसे- औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए औद्यागिक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल), सरकार से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) और आयकर संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए आयकर न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) इत्यादि।

न्यायालयों और न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनलों) के बीच तुलना करने पर यह कहा जा सकता है कि न्यायालय कानून की कठोर प्रकिया का पालन करते हैं, जबकि ट्रिब्यूनल कानून के तकनीकी नियमों का सहजता से पालन करते हैं। न्यायालयों के पास कई प्रकार के मुकदमों पर फैसला लेने की शक्ति होती है। ट्रिब्यूनल कानून के एक विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं।

किसी न्यायालय की कार्यवाही पर जज अथवा मजिस्ट्रेट अध्यक्षता करता है और दूसरी ओर ट्रिब्यूनल में संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ चेयरमैन और सदस्य फैसला करते हैं।

## पाठांत प्रश्न

1. दीवानी मामलों को परिभाषित कीजिए।
2. फौजदारी मामलों को परिभाषित कीजिए।
3. फौजदारी मामलों के विभिन्न चरण लिखिए।
4. दीवानी मामलों के विभिनन चरण लिखिए।
5. न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) को परिभाषित कीजिए।
6. न्यायालयों और न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनलों) के बीच तुलना कीजिए।

## पाठगत प्रश्नों के उत्तर

### 14.1

1. सत्य
2. सत्य
3. सत्य

## 14.2

1. (क) वादी

   (ख) प्रतिवादी

   (ग) दीवानी मामला (सूट)

2. (i) शिकायत दर्ज करवाना,

   (ii) विरोधी पार्टी को सम्मन जारी करना,

   (iii) डिफेंडेंट (प्रतिवादी) की उपस्थिति,

   (iv) आरोप तय करना,

   (v) गवाहों के बयान दर्ज करना,

   (vi) बहस,

   (vii) फैसला।

## 14.3

1. (a) (क) **प्राथमिकी (FIR) :** एफ.आई.आर. का अर्थ है-प्रथम सूचना रिपोर्ट। यह पुलिस अधिकारियों को दी गई सूचना है कि पीड़ित व्यक्ति के साथ एक विशेष अपराध किया गया है। किसी फौजदारी मामले को शुरू करने में प्राथमिकी (FIR) पहला कदम है।

   (ख) **तर्क-वितर्क (बहस) :** गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद विवाद से जुड़ी दोनों पार्टियां अपने तर्क प्रस्तुत करती हैं।

   (ग) **निर्णय :** निर्णय का अर्थ है न्यायालय का फैसला।

   (घ) **अपील :** वादी अथवा प्रतिवादी (डिफेंडेंट) यदि निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट न हो तो वे ऊंची अदालत में अपील कर सकते हैं।

2. (क) सत्य

   (ख) सत्य

## 14.4

1. ट्रिब्यूनलों को न्यायालयों से अलग ऐसे न्यायिक निकायों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो प्रशासनिक और न्यायिक कार्य करता है।

2. (क) औद्योगिक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल)

   (ख) आयकर न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल)

टिप्पणी

3. (क) सत्य

   (ख) सत्य

   (ग) सत्य

**14.5**

(क) सत्य

(ख) सत्य

(ग) सत्य

(घ) सत्य